न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 85 सन 2017

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22.01.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 263 के साबिका खसरा न0 89 की 26.02 बीधा व साबिका खसरा न0 98 के खसरा न0 10.10 बीधा कुल तादादी 36.12 बीधा भूमि थी जो उस वक्त जगीरदार से रकम के दबले में सदा के लिये वास्ते काश्त रामलाल पुत्र जीवण जाति नायक साकिन बडबिराना को प्राप्त हुई थी जिसे सम्वत 2012 से लेकर सम्वत 2047 तक खूद काश्त करता रहा व रकमराज दाखिल करता रहा रामलाल के देहान्त होने के बाद उसका पौत्र कृष्ण कुमार यानी वादी काश्त करता आ रहा है।

रामलाल पुत्र जीवन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने के बाद यानि दिनांक 15.10.1955 को काश्तकार था विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका था जो जमाबन्दी संम्वत 2012 से 2015 से साबित है रामलाल पुत्र जीवण जाति नायक साकिन बडबिराना के बाद उसके पौत्र यानी वादी को वसीयत करवा दी थी तथा मुताबिक वसीयत वादी के नाम दर्ज हो चुकी है।

विवादित भूमि भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 240 की 22.01 व खसरा न0 241 की 8.05 बीधा में पैमुद की गई है जो मिलान सर्वे खसरा से साबित है।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240 की 15.06 बीधा व खसरा न0 6241 की 6.15 बीधा कुल 22.01 बीधा खातेदारी दर्ज हो चुकी है परन्तु रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240 की 6.015 बीधा व खसरा न0 241 की 1.10 बीधा कुल तादादी 08.05 बीधा भूमि गैरखातेदारी रह गई है एवं वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240/2 की 1. 7070हैक व खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक कुल 2.086हैक भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से रह गई है।

वाद भूमि 54–55 साल से पहले मृतक रामलाल पुत्र जीवन व उसकी मृत्यू के बाद उसके वारिस वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वादी वाद भूमि का प्रतिकुल कब्जा के आधार पर ही खातेदार काश्तकार हो चुका है। परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पूर्वजों की कृषि भूमि को गलत तौर से गैरखातेदारी दर्ज की गई है जिसे वादी बतौर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा पाने को अधिकारी है।

वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरखातेदारी रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है प्रतिवादी कभी भी वादी को वाद भूमि से बेदखल कर सकता है जिससे वादी को नाम पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये वादी वाद भूमि को अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि को वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये वादी ने यह वाद पेश किया गया है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 371/367 के खसरा न0 240/2 की 1.7070हैक एवं खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक कुल 2.0860हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है की धोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के

सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के पूर्वज रामलाल पुत्र जीवण जितनी भूमि खातेदारी पाने के अधिकारी थे उतनी भूमि उनके नाम से बतौर खातेदार दर्ज की गई है शेष भूमि सही तौर से गैरखातेदार दर्ज की गई है तथा वर्तमान में वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है प्रश्नगत भूमि निशुल्क खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 263 के साबिका खसरा न0 89 की 26.02 बीधा व साबिका खसरा न0 98 के खसरा न0 10.10 बीधा कुल तादादी 36.12 बीधा भूमि थी जो उस वक्त जगीरदार से रकम के दबले में सदा के लिये वास्ते काश्त रामलाल पुत्र जीवण जाति नायक साकिन बडबिराना को प्राप्त हुई थी जिसे सम्वत 2012 से लेकर सम्वत 2047 तक खूद काश्त करता रहा व रकमराज दाखिल करता रहा रामलाल के देहान्त होने के बाद उसका पौत्र कृष्ण कुमार यानी वादी काश्त करता आ रहा है।

रामलाल पुत्र जीवन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने के बाद यानि दिनांक 15.10.1955 को काश्तकार था विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका था जो जमाबन्दी संम्वत 2012 से 2015 से साबित है रामलाल पुत्र जीवण जाति नायक साकिन बडबिराना के बाद उसके पौत्र यानी वादी को वसीयत करवा दी थी तथा मुताबिक वसीयत वादी के नाम दर्ज हो चुकी है।

विवादित भूमि भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 240 की 22.01 व खसरा न0 241 की 8.05 बीधा में पैमुद की गई है जो मिलान सर्वे खसरा से साबित है।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240 की 15.06 बीधा व खसरा न0 6241 की 6.15 बीधा कुल 22.01 बीधा खातेदारी दर्ज हो चुकी है परन्तु रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240 की 6.015 बीधा व खसरा न0 241 की 1.10 बीधा कुल तादादी 08.05 बीधा भूमि गैरखातेदारी रह गई है एवं वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 240/2 की 1.7070हैक व खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक कुल 2.086हैक भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से रह गई है राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान था कि जो काश्तकार जिस भूमि को काश्त करता है वह उस समस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी के ताबे वादी के पूर्वज रामलाल के कब्जा काश्त की वाद भूमि समस्त को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया सहवन से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नही करने से वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते वादी अपने हकों की कभी भी उक्त अधिनियम के ताबे अपने हकों की धोषणा करवा सकता है।

वाद भूमि 54-55 साल से पहले मृतक रामलाल पुत्र जीवन व उसकी मृत्यू के बाद उसके वारिस वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वादी वाद भूमि का प्रतिकुल कब्जा के आधार पर ही खातेदार काश्तकार हो चुका है। परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पूर्वजों की कृषि भूमि को गलत तौर से गैरखातेदारी दर्ज की गई है जिसे वादी बतौर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा पाने को अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के पूर्वज रामलाल पुत्र जीवण जितनी भूमि खातेदारी पाने के अधिकारी थे उतनी भूमि उनके नाम से बतौर खातेदार दर्ज की गई है शेष भूमि सही तौर से गैरखातेदार दर्ज की गई है तथा वर्तमान में वाद भूमि उपनिवेशन क्षैत्र में आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है प्रश्नगत भूमि निशुल्क खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
अ॰ दूद

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 89 की 26.02 बीधा, साबिका खसरा न0 98 की 10.10 बीधा कुल 36.12 बीधा भूमि रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक के नाम से बतौर काश्तकार दर्ज है इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 ,2028 ,2029 ,2030 से 2034 ,2034 से 2036 ,2045 में भी वाद भूमि रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक के कब्जा काश्त में होना दर्ज है। भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 में वाद भूमि रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि रोही मौजा बडबिरान के साबिका खसरा न0 न0 89 की 26.02 बीधा, साबिका खसरा न0 98 की 10.

10 बीधा कुल 36.12 बीधा भूमि रामलाल वल्द जीवन जाति नायक के सम्वत 2012 से 2045 तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

भू0प्रबन्ध विभाग के सर्वे खसरा सम्वत 2020 रोही मौजा बडबिरान के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 89 के हाल खसरा न0 240 एवं साबिका खसरा न0 98 के हाल खसरा न0 98 बने है अर्थात साबिका खसरा न0 89 की 26.02 बीधा के हाल खसरा न0 240 की 22.01 बीधा एवं साबिका खसरा न0 98 की 10.10 बीधा के हाल खसरा न0 241 की 8.05 बीधा में पैमुद किये गये है।

रामलाल पुत्र जीवन के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादभूमि जो उसके कब्जा काश्त में थी की एक वसीयत अपने पौत्र कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति नायक के नाम से करवाई गई थी जो प्रस्तुत वसीयत जो उपपंजीयक कार्यालय नोहर से पंजीबद्व है से साबित है रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक साकिन बडबिराना का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है वसीयत के आधार पर वाद भूमि कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति नायक के नाम से दर्ज हो चुकी है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है। तथा सरंपच ग्राम पंचायत बडबिराना के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वाद भूमि का वारिस वादी कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान होना साबित है। एवं भूमि कब्जा काश्त में है।

उपरोक्त दस्तावेजात जंमाबन्दी सम्वत 2012 से लगातार 2045 के अनुसार वाद भूमि रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक के कब्जा काश्त में होना पूर्णत्या साबित है तथा रामलाल पुत्र जीवन के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके वारिस वादी कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों व सरंपच ग्राम पचायत बडबिराना की तस्दीक से साबित है वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के कब्जा काश्त में होना व वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में होने के सम्बध में किसी प्रकार का प्रतिरोध /विरोधन नही किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसकी धारा 15 में प्रावधान किया गया था कि अधिनियम लागू होने की दिनांक को जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में चली आ रही है वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार है उसे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी/गिरदावरी में जो काश्तकार बतौर काश्तकार दर्ज था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था उसे बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था।

हस्तगत प्रकरण में रामलाल वल्द जीवन जाति नायक साकिन बडबिराना सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में बतौर काश्तकार दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 15 से साबित है एवं वाद भूमि सम्वत 2012 से 45 तक लगातार वाद भूमि रामलाल वल्द जीवन के कब्जा काश्त में रही थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावारीयों से साबित है अर्थात रामलाल वल्द जीवन जाति नायक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के ताबे वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका था जिसके नाम वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जानी चाहिये थी।

प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 371/367 के अनुसार खसरा न0 240/2 की 1.7070हैक्‍ व खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक्‍ भूमि रामलाल पुत्र जीवन जाति नायक के वारिस कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान के नाम गैरखातेदारी दर्ज है जो गलत है उक्त भूमि जो रामलाल वल्द जीवन के नाम सम्वत 2012 मे बतौर काश्तकार दर्ज थी जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था यदि किसी कारण वशं उस समय खातेदार दर्ज नही किया गया था तो वादी अब भी उक्त अधिनियम के ताबे अपने हकों की धोषणा न्यायालय से करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भी काश्तकार उक्त अधिनियम लागू होने के दिनांक को जिस भूमि को काश्त करता है वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार है और उसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की दिनांक को जो काश्तकार जिस भूमि का अभिधारी था को उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था।

इसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे काश्तकार जो सम्वत 2012 से पूर्व के काश्तकार है को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के सम्बध में जारी किये गये।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत या उसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में जारी करने के उपरान्त भी काश्तकारों को बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में नही किया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 ,4 ,15 ,19 के अन्तर्गत खातेदार अभिधारी धोषित कर दिये गये थे जिन्हे मात्र राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया है को राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना न्यायोचित है यहॉ तक की सम्वत 2012 में अभिलिखित काश्तकार को पुनः खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी आवश्यकता नही है क्योकि ऐसे काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 लागू होते ही वह स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नही किया गया ऐसे काशतकार को खातेदारी अधिकारों से वंचित रखा जाना उचित नही है।

हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णत्या साबित है कि सम्वत 2012 से 2015 से लेकर सम्वत 2045 तक वाद भूमि वादी के पूर्वज रामलाल वल्द जीवन जाति नायक साकिन बडबिराना के कब्जा काश्त में थी अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वाद भूमि रामलाल वल्द जीवन के कब्जा काश्त में थी अर्थात वाद भूमि का रामलाल खातेदार काश्तकार हो गया था रामलाल वल्द जीवन के देहान्त होने पर उसके जायज वारिस कृष्ण कुमार वल्द हनुमान के वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है मात्र राजस्व अभिलेख में अंकित नही किया गया जिसके सम्बध में वादी न्यायालय से धोषणा करवाकर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुई थी की धारा 15 के प्रावधानों के तहत वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्य 371/367 के खसरा न0 240/2 की 1.7070हैक्‍ एंव खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक्‍ कुल 2.0860हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 22-1-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

SZaidi

(सैयद शीराज अली जैदी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायंक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 85 सन 2016 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सैयद शीरजा अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्य 371/367 के खसरा न0 240/2 की 1.7070हैक एंव खसरा न0 241/2 की 0.3790हैक कुल 2.0860हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से में जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)